राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(27)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2007 जयपुर, दिनांक: 06 OCT 2022

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(122)एम.ई / ग्रुप–1 / 91 दिनांक 24.09.2012 के द्वारा डॉ. जगदीप सिंह (मेरिट क्रमांक एम–01, जन्मतिथि 26.07.1974) की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में की गई थी।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने उनके पत्र दिनांक 16.07.2019 एवं 30.10.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि डॉ. सिंह द्वारा दिनांक 02.05.2018 से अपने पद से त्याग पत्र स्वीकृत करने बाबत् मेडिकल कॉलेज, जयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् डॉ. सिंह दिनांक 26.05.2018 से स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थित हैं।

डॉ. सिंह के निरन्तर स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.09.2018 द्वारा नोटिस जारी कर 07 दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त न होने पर दिनांक 01.08.2022 को पुनः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में डॉ. सिंह ने अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसे संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(4)FD/Rules/2006 दिनांक 12.01.2017 द्वारा किये गये संशोधित प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

(4) No Government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

A government servant shall be deemed to have resigned from the service if he,-

(A) is absent without authorization for a period exceeding one year from the date of expiry of sanctioned leave or permission, or

(B) is absent from duty for a continuous period exceeding five years even if the period of unauthorized absence is for less than a year, or

(C) Continuous on Foreign Service beyond the period approved by the state government.

अतः डॉ. जगदीप सिंह, सहायक आचार्य, प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के दिनांक 26.05.2018 से निरन्तर स्वेच्छा से राज्य सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण वित्त (नियम) विभाग की उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत डॉ. सिंह की अनुपस्थिति deemed to have resigned माने जाने के कारण डॉ. जगदीप सिंह की सहायक आचार्य, प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के पद की सेवा तुरंत प्रभाव से एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

आज्ञा से

(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 24031 दिनांक 30.10.2021 के क्रम में।
4. डॉ. जगदीप सिंह, सहायक आचार्य, प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

06/10/22

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव